न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 123/2021

मोहम्मद याकुब उम्र 85 वर्ष पुत्र अब्दुल कादर जाति व्यापारी निवासी बिसाऊ

वादी

बनाम

1. विजय कुमार उम्र 85 वर्ष पुत्र रूधुनाथप्रसाद जाति ब्राहमण विासी वार्ड न0 18 बिसाऊ
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 02.02.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बिसाऊ पटवार हल्का बिसाऊ की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 211 रकबा 3 बीधा 17 बिश्वा हाल ख0न0 408 रकबा 0.97 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रधुनाथप्रसाद पुत्र मुरलीधर की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी। जिसमें से 2/3 हिस्सा वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रधुनाथप्रसाद से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 04.02.1977 को कय किया था। क्रय करने के दौरान से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल से विक्रय पत्र का नामान्तरकरण वादी के नाम दर्ज नही हो पाया। अंत में वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को हाल ख0न0 408 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम बिसाऊ में से मुताबिक विक्रय पत्र 0.59 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादी को मुताबिक विक्रय पत्र 0.59 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित करने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर गौर किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब एवं दिनांक 04.02.1977 को पंजीबद्व विक्रय पत्र के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बिसाऊ पटवार हल्का बिसाऊ की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 408 रकबा 0.97 है0 में से मुताबिक विक्रय पत्र 0.59 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट) 02/2/22

उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी